

प्रेषक,

जी0एस0 नवीन कुमार,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

शामली, संतकबीर नगर, सोनभद्र, सीतापुर, कासगंज, ललितपुर, कानपुर देहात, जौनपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, बांदा, आगरा एवं कन्नौज।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 6 नवम्बर, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में बेमौसम भारी वर्षा /अतिवृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना सं0-303/1-11-2016- 4(जी)/(2016, दिनांक 27.06.2016, अधिसूचना दिनांक 02.08.2018 द्वारा बेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान, लू-प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना, अधिसूचना सं0-393/1-11-2018- 4(जी)/(2016, दिनांक 17.10.2018 द्वारा मानव वन्यजीव द्वन्द्व एवं अधिसूचना सं-0-387/एक-11-2021- 4(जी)/(2015, दिनांक 09.06.2021 द्वारा कुआं, नदी, झील, तालाव, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूब कर होने वाली मृत्यु तथा सं/586 0एक2015/(जी) 4-2022-11-, दिनांक के आघात (लगायनी) द्वारा सांड एवं बनरोज 13.10.2022 से होने वाली घटनाओं को राज्य आपदा घोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बेमौसम भारी वर्षा / अतिवृष्टि से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों /परिवारों को राहतप्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों प्रतिबन्धों के अधीन/ रू0 17,55,00,000/- (रूपये सत्रह करोड़ पचपन लाख मात्र) की धनराशि निम्न तालिका के कालम -2 में अंकित जनपदों के सम्मुख कालम-3 में अंकित धनराशि सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

क्रमांक	जनपद का नाम	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3
✓1	शामली	25.00
✓2	संतकबीर नगर	100.00
✓3	सोनभद्र	405.00
✓4	सीतापुर	300.00
5	कासगंज	50.00
✓6	ललितपुर	200.00
✓7	कानपुर देहात	200.00
✓8	जौनपुर	150.00
✓9	प्रतापगढ़	100.00
✓10	आजमगढ़	100.00
✓11	बांदा	25.00

✓ 12	आगरा	50.00
✓ 13	कन्नौज	50.00
	योग	1755.00
(रूपये सत्रह करोड़ पचपन लाख मात्र)		

नियम व शर्तें प्रतिबन्धों/

- (1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन को शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है, में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेण्ट के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
 - (2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। टीआर-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।
 - (3) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-NDM-1(Vol-II)] दिनांक 10.10.2022, जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक दरें निर्धारित हैं तथा जो वित्तीय वर्ष/2022-23 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।
 - (4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
 - (5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।
 - (6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।
 - (7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखाजोखा रखा जाये तथा माह के अंत में- जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
 - (8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोगसमर्पण के संबंध में शासनादेश सं/0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई वचतअवशेष की / दिनांक/वित्तीय वर्ष के समापन स्थिति बनती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।
 - (9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
 - (10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 17,55,00,000/- (रूपये सत्रह करोड़ पचपन लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-051 लेखा शीर्षक 2245058000609 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदा मद से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फंड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-2/2023/वी-1-227/दस-2023-231-/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

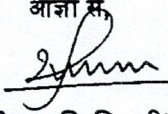
भवदीय,

(जी0एस0 नवीन कुमार)
सचिव।

संख्या - 1603 (1)/एक-10-2023-33(36)/2023 , तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-09/11/2023

प्रेषण संख्या:- 1603
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1603
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	आगरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 23300000	5000000 23300000
2	बांदा -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 42500000	2500000 42500000
3	जौनपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	15000000 32000000	15000000 32000000
4	आजमगढ़-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 29000000	10000000 29000000
5	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	30000000 68000000	30000000 68000000
6	प्रतापगढ़-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 32500000	10000000 32500000
7	ललितपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 46500000	20000000 46500000
8	कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 50000000	20000000 50000000
9	सोनभद्र-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	40500000 96100000	40500000 96100000
10	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 21000000	10000000 21000000
11	कन्नौज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 19000000	5000000 19000000
12	कांसगंज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 17500000	5000000 17500000
13	शामली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 5000000	2500000 5000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	175500000 482400000	175500000 482400000

मेहायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सत्रह करोड़ पचपन लाख
मेहायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अड़तालीस करोड़ चौबीस लाख

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन